agricultural and industrial loans. Many schemes of financial assistance to the States are being implemented for agricultural development. List of schemes and the amount sanctioned under each scheme during the last 3 years is given in the Annexure *[See* Appendix 175, annexure No. 12]

(b) State-wise earmarking of funds is not done in advance for each scheme. The amount of sanction depends upon factors like proposals of the State Governments, availability' of funds, utilisation of previously sanctioned funds etc. Hence, it is not possible to specify the amount of funds likely to be released to Punjab for the next two years.

सरकार की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किए जाने संबंधी नीति

651. **श्री राम जेठमलानी** :

श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभित्र राज्य सरकारों से परामर्श लेने के बाद यह सर्वसम्मत निर्णय लिया हैं कि वर्तमान अधूरी जल संसाधन (सिंचाई) परियोजनाओं को पूरा करने से पहले किसी नई सिचाई परियोजना के निर्माण कार्य को आरंभ नहीं किया जाएगा

(ख) यदि हां , तो देश में कुल कितनी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं निर्माणधीन हैं और इन परियोजानाओं में कुल कितना निवेश किया गया हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि का अनुमान लगाया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है और ऐसी सभी वर्तमान अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कुल कितनी सिंचाई क्षमता का सृजन होने का अनुमान हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. वी रंगैया नायडू) : (क) राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के जल संसाधन और सिंचाई मंत्रियों के 22 अगस्त 1995 को नई दिल्ली में हुए 11 वें सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि जब तक चालू परियोजनाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक नई परियोजनओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और केवल उन परियोजनाओं का चयन करने में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें अपवादात्मक मामलों में कार्यान्वयन के लिए शुरू किया जा सकता हैं, जो संतुलित विकास आदि के कारणों से आवश्यक हैं।

(ख) आठवीं योजना में 158 वृहद , 226 मध्यम और 95 विस्तार , नवीकरण / आधुनिकीकरण योजनाएं निर्माणधीन हैं। मार्च , 1995 तक इन परियोजनाओं पर 34157. करोड़ रूपए की राशि व्यय होने का अनुमान हैं।

(ग) जी हां।

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमनित रूप से 36839.06 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित सिंचाई क्षमता 24.812 मिलियन हेक्टेयर हैं।

Modification in the Minimum Support Price-System

652. SHRI MOHAN BA^U: Will the Minister of AGRICULTURI be pleased to state.

(a) whether Government have ruled out modification in the Minimum Support Price System*

(b) if so, whether it ha§ beef? §c]rfjiftec that due to certain drawbacks big tarnicu with better inputs succeed in getting higher production and benefits from th« MSP as compared to small and margina farmers;

(c) if so, the main reasons for no modifying the minimum support price foi the benefit of small and margina farmers;

(d) whether the country has achieve* all time high foodgrain production due t< the hard work of small and margina farmers but no benefit is being provide to them; and

(e) if so, the main reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN TH1 MINISTRY OF AGRICULTUR (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (t The minimum support prices of majc